Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी ....मुकाम ....बयाना................................

अमरसिंह ....बनाम ....श्रीलाल वगै0..............................

किस्म मुकदमा ...प्रार्थना पत्र धारा 212 आर टी एक्ट ....नं.......................सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल मे जारी हुए
14.06.2024	प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण मूल के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करनें का निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र वर्णित आराजी खसरा नम्बर 952 रकवा 0.01, 953 रकवा 0.47 हैक्ट. वाके ग्राम पीपर्रा तहसील बयाना स्थित है में किसी प्रकार वादी /प्रार्थी व तरतीवी प्रतिवादी के मनवट के आधार पर किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत नहीं करें। रहन वय मुन्तकिल नहीं करें। उपयोग/उपभोग में बाधा नहीं करें। रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। अप्रार्थीगण के विरूद्व अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। साथ ही प्राईमा फेसी केस व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है। हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुंनी गई बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व दस्तावेजो का गहनता से अध्ययन किया। अतः प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्व अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी 16.07.2024 तक इस आशय की जारी की जाती है कि प्रार्थना पत्र वर्णित आराजी खसरा नम्बर 952 रकवा 0.01, 953 रकवा 0.47 हैक्ट. वाके ग्राम पीपर्रा तहसील बयाना के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। **नोट– यह स्थगन आदेश 251A व 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत् रास्ते सम्बन्धी विधि अनुसार की जाने वाली कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा साथ ही यदि प्रार्थी, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त खसरा नम्बरान का कोई समर्पण कराना चाहता है तो स्थगन का प्रभाव नहीं रहेगा। इसके आधार पर कृषि कार्य बंद नहीं करवाया जावे।** पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो अप्रार्थीगण को जरिये साधारण/रजिस्टर्ड डाक द्वारा तलबी हेतु तलबाना पेश हो अन्यथा आगामी तारीख पेशी को अस्थायी निषेधाज्ञा स्वतः ही निष्प्रभावी समझी जावे पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 16.07.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर)	

तारीख
हुक्म

16/7/24 पक्ष प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र अनुसार तहसील लोकेशन पत्रावली के आगत नहीं है। पत्रावली मंगाने की प्रक्रिया [illegible] 15/10/24 को पेश हो।

15/10/24 पक्ष-प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण वास्ते आदेश कार्यवाही दिनांक 26/12/24 को पेश हो।

26/12/24 इलेक्शन कार्य में
पीठासीन अधिकारी .... है।
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 19/3/25 को पेश हो।
रीडर
ओ./एस.डी.एम

19/3/25 – प्रकरण पेश हुआ कोई भी पक्षकार उपस्थित नहीं। प्रकरण वास्ते आदेश कार्यवाही दिनांक 25/4/25 को पेश हो।

25/4/25 प्रकरण पेश हुआ। कोई भी पक्षकार उप. नहीं। प्रकरण [illegible] दिनांक 20/5/25 को पेश हो।

20/5/25 – इलेक्शन कार्य में
पीठासीन अधिकारी .... है।
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 27/6/25 को पेश हो।
रीडर
ओ./एस.डी.एम

27/6/25 कैम्प में पधारे
पीठासीन अधिकारी .... है।
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 10/9/25 को पेश है।
रीडर
ओ./एस.डी.एम.

10/9/25 प्रकरण आज पेश हुआ। प्रकरण में [illegible] प्रार्थी व स्वयं प्रार्थी अनु[illegible] प्रकरण के सम्बन्ध में

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अहलमद द्वारा भी बार-बार आवाज लगवाई गई। आवाज उपरान्त भी प्रकरण में कोई उप० नहीं। अतः प्रकरण इसी स्तर पर अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर जेरन बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	